192

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

R 5078-III/17

1– रामछोर यादव तनय स्व0 श्री राममनोरथ यादव उम्र 60 वर्ष पेशा–कृषि

2– चुनवाद यादव तनय स्व0 श्री द्वारिका यादव उम्र 75 वर्ष पेशा–कृषि दोनों निवासी ग्राम बंदरकोल तहसील कर्वी जिला चित्रकूट उ0प्र0........पुनरीक्षणकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

1– सौरभ शर्मा तनय राकेश शर्मा आयु 22 वर्ष निवासी वार्ड कं0–7 नयागांव चित्रकूट तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0

2– श्यामलाल शिवहरे तनय श्री रामदीन शिवहरे आयु 70 वर्ष निवासी नरैनी रोड अतर्रा तहसील अतर्रा जिला बांदा उ0प्र0.........................गैरपुनरीक्षणकर्तागण/अना0गण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 बावत् निरस्त किये जाने आदेश सीमांकन प्रकरण 14अ12/2015–16 आदेश दिनांक 04–06–2016 जो राजस्व निरीक्षक मण्डल चित्रकूट तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0 द्वारा पारित किया गया है।

अधि0 श्री एस0के0 लोकेत द्वारा प्रस्तुत 22-2-17

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में पुनरीक्षणकर्तागण/आवे0गण निम्नलिखित पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनयी है:–

1– यह कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण उपरोक्त पते के निवासी है।

2– यह कि आराजी नं0–63/1/च/1 रकबा 0.998हे0 एवं आ0नं0–63/1/ड़/1क रकबा 0.608हे0 मौजा ग्राम रजौला हल्का कामता राजस्व निरीक्षक मण्डल चित्रकूट तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0 में स्थित है, जिसके मालिक व भूमिस्वामी तथा अधिपत्यधारी क्रमशः आवेदक कं0–1 व 2 हैं।

3– यह कि अनावेदकगण ने दिनांक 12–02–2016 को

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5078–दो/17 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
25 –9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 एल0 यादव उपस्थित होकर उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल चित्रकूट तहसील मझंगवा जिला सतना के प्रकरण कमांक 14/अ–12/2015–2016 में पारित आदेश दिनांक 04.06.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा–5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने दिनांक 4.6.16 को आराजी न0 63/2/1/1 रकवा 0.029 है0 एवं 63/2/1/2 रकवा 0.923 है0 मौजा रजौला तहसील मंझगवा जिला सतना की भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक मण्डल चित्रकूट तहसील मझंगवा ज़िला सतना द्वारा कराया गया है इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आराजी न0 63/1/च/1 रकवा 0.998 है0 एवं आराजी न0 63/1/ड./1क रकवा 0.608 है0 मौजा ग्राम रजौला हल्का कामता राजस्व निरीक्षक मण्डल चित्रकूट तहसील मझगंवा स्थित है जिसके भूमिस्वामी आवेदक 1 एवं 2 हैं। सीमांकन की जानकारी 22.12.16	

को आवेदकगण को हुई। अनावेदकगण ने उक्त आराजियात का सीमांकन गलत तरीके से राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से बिना किसी चौहददी कास्तकारों को सूचना दिये दिनांक 4.6.16 को करा दिया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आवेदक कमांक–1 रामछोर यादव के स्थल पंचनामा एवं सीमांकन सूचना पत्र में किसी अन्य से हस्ताक्षर कराया है व आवेदक कमांक–2 जो निशानी अंगूठा लगाता है, उसके उक्त दस्तावेजों में गलत हस्ताक्षर किये गये हैं। आवेदकगण की उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही का निष्पादन नहीं हुआ है और न ही मौके पर कोई सीमांकन की कार्यवाही हुई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 4.6.16 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने धारा– 5 का आवेदन समाधान कारक होने से स्वीकार किया जाता है, तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि स्थल पंचनामा में हस्ताक्षर चुनवाद प्रसाद लेख किया गया है जबकि वह अंगुष्ठ निशान लगाता है, तथा इसी प्रकार जो पंचनामा में रामछोड़ हस्ताक्षर लेख किया गया है और रामछोर द्वारा जो निगरानी मेमों में हस्ताक्षर किये गये है उसमें भिन्नता है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदकगण को सीमांकन की सूचना विधि पूर्वक नहीं हुई है। अतः राजस्व निरीक्षक मण्डल चित्रकूट तहसील मझंगवा जिला सतना के प्रकरण कमांक 14/अ–12/2015–2016 में पारित आदेश दिनांक 04.06.16 त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होने से निरस्त किया

जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ राजस्व निरीक्षक मण्डल चित्रकूट तहसील मझंगवा जिला सतना को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह धारा 129 में बने प्रावधानों के अनुसार उभयपक्ष को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये सीमांकन की कार्यवाही करें।

सदस्य